रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072026-274615
CG-DL-E-20072026-274615

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 578] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 17, 2026/आषाढ 26, 1948
No. 578] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 17, 2026/ASHADHA 26, 1948

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 637(अ).— केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय डोप रोधी अधिनियम, 2022 (2022 का 15) की धारा 29 के खंड (ड.) तथा (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी के महानिदेशक की नियुक्ति तथा उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी (महानिदेशक की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होगा।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ आदि— उक्त पद के लिए भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ तथा उससे संबंधित अन्य विषय, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता— कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह जिसका पति या पत्नी जीवित है; या

(ख) जिसने, अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट प्रदान कर सकेगी।

5. एजेंसी का महानिदेशक—

(1) महानिदेशक केन्द्रीय सरकार का ऐसा अधिकारी होगा, जो सत्यनिष्ठा तथा उत्कृष्ट योग्यता वाला हो और जिसे लोक प्रशासन के क्षेत्र में कम-से-कम बारह वर्ष का अनुभव हो।

(2) महानिदेशक का वेतन, भर्ती की पद्धति तथा उससे संबंधित अन्य विषय अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

(3) महानिदेशक की सेवा की शर्तें ऐसे नियमों के अनुसार होंगी, जो समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों पर लागू होते हैं।

(4) महानिदेशक के अवकाश की स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार होगी।

6. अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना— महानिदेशक, जब वह इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के किसी उपबंध के अनुसरण में कार्य करता है या कार्य करने के लिए तात्पर्यित है, तब उसे भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 2 के खंड (28) के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा।

7. छूट की शक्ति— जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह आदेश द्वारा और कारणों को लेखबद्ध करते हुए किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध में छूट प्रदान कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति— इन नियमों की कोई बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा व्यक्तियों के अन्य विशेष प्रवर्गों के लिए इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंधित किए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
महानिदेशक	1*(2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन	समूह 'क'.
वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(4)	(5)	(6)
स्तर-13 (रु.123100-215900).	लागू नहीं	लागू नहीं
सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नति प्राप्त व्यक्तियों पर लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो तो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वह श्रेणी जिससे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	

द्वारा, तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी, जो अपने मूल संवर्ग या विभाग या संगठन में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों, — (क) जो सत्यनिष्ठा तथा उत्कृष्ट योग्यता वाले व्यक्ति हों; और (ख) जिन्हें लोक प्रशासन के क्षेत्र में कम-से-कम बारह वर्ष का अनुभव प्राप्त हो; **टिप्पण** 1.— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति से ठीक पूर्व केन्द्रीय सरकार के समान या किसी अन्य संगठन या विभाग में किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर की गई प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित होगी, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण** 2.— प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक अठावन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण** 3.— महानिदेशक की सेवा की शर्तें ऐसे नियमों के अनुसार होंगी, जो समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों पर लागू होते हैं।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है।	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(12)	(13)
लागू नहीं	लागू नहीं

[फा. सं. जे/13/2026-एसपी-V]

विनील कृष्णा रावेल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(Department of Sports)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2026

G.S.R. 637(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (e) and (f) of section 29 of the National Anti-Doping Act, 2022 (15 of 2022), the Central Government hereby makes the following rules, regulating the appointment and condition of the service of the Director General in the National Anti-Doping Agency, namely:-

1. **Short title and commencement**. -(1) These rules may be called the National Anti-Doping Agency (Appointment and condition of the service of Director General) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, level in the pay matrix**. - The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc**.- The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Director General of the Agency**. – (1) The Director General shall be an officer of the Central Government who is a person of integrity and outstanding ability possessing experience of at least twelve years in the field of public administration.

(2) The salary, method of recruitment, and other matters relating thereto, of the Director General, shall be as specified in the Schedule.

(3) The conditions of service of the Director General shall be in accordance with such rules as are applicable to officers on deputation to the Central Government drawing equivalent pay.

(4) The leave sanctioning authority in case of the Director General shall be the Central Government.

6. **Officers and employees to be public servants. -**The Director General shall be deemed, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of the Act and the rules and regulations made thereunder, to be a public servant within the meaning of clause (28) of section 2 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023).

7. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving**. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	**Number of Post.**	**Classification.**
(1)	(2)	(3)
Director General.	1*(2026) *subject to variation dependent on work load.	Group 'A'.
Level in pay matrix.	**Whether selection or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(4)	(5)	(6)
Level-13 (Rs.123100-215900).	Not applicable.	Not applicable.
Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grade from which promotion or deputation / absorption to be made.**	
(10)	(11)	
By deputation.	Deputation: Officers of the Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department or organisation, - (a) who is a person of integrity and outstanding ability; and (b) possessing experience of at least twelve years in the field of public administration; Note 1.-The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other	

	organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-eight years as on the closing date of receipt of applications. Note 3.-The condition of service of the Director General shall be in accordance with such rules as are applicable to officers on deputation to the Central Government drawing equivalent pay.
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition thereof.	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.

[F. No. J/13/2026-SP-V]

VINEEL KRISHNA RAVELLA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.07.20 16:02:42 +05'30'